हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

है इस मौजूदा अपील पत्र का उभयपक्षों के हक निर्धारण के लिए क्षेत्राधिकार अपेक्षाकृत संकुचित है एवं एक ही अनवानी आराजियात के दो पृथक पृथक प्रकरण समानान्तर चलाना धारा 10 जा०दी मे वर्णित प्रावधानो के प्रतिकूल सिद्ध होगा है ऐसी स्थिति मे इस अपील पत्र को पश्चातवर्ती राजस्व वाद सं. 41/17 के साथ संलग्न किया जाना न्यायालय उचित समझता है

अतः अपील अपीलार्थी मे आगे की कार्यवाही को इसी स्तर पर स्थगित कर रा० वाद प्र० क्र० - 41/17 के नत्थी किये जाने की आज्ञा पारीत की जाती है उभयपक्ष अपने हक हिस्सों का निर्धारण [illegible] सिद्ध कराने के लिए रा० वाद प्र० क्र० 41/17 से स्वतन्त्र रहेगे।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा) राज